

संख्या: फिन-ए-सी(6)-2/2019
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित:

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।


दिनांक: शिमला-171002 30 मार्च, 2020.

विषय:- हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 2) में प्रावधित की गई राशि जो कि बजट अनुमान वित्त वर्ष 2020-2021 से सम्बन्धित है, को विधान सभा द्वारा बिना किसी परिवर्तन के दिनांक 23 मार्च, 2020 को पारित कर दिया गया है। राज्यपाल महोदय ने भी उपरोक्त विधेयक को अपनी स्वीकृति (assent) दिनांक 23 मार्च, 2020 को प्रदान कर दी है तथा यह विधेयक वर्ष 2020 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रकाशित हो चुका है।

भवदीय,




अवर सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी(6)-2/2019

दिनांक: 30 मार्च, 2020.

प्रतिलिपि वरिष्ठ उप-महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003 को सूचनार्थ

प्रेषित है।



अवर सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार